

करदाता कृपया ध्यान दें!!

वास्तविक

फर्जी

अपनी आयकर विवरणी सही भरें
अपने रिफंड को समय पर प्राप्त करें।

एक जिम्मेदार करदाता होने के लिए आपका धन्यवाद

क्या आपका रिफंड बकाया है?

तो कृपया ध्यान दें:

- रिफंड के दावे, सत्यापन जांच के अधीन है, जिससे रिफंड में देरी हो सकती है।
- सटीक आयकर विवरणी दाखिल करने पर रिफंड की प्रक्रिया शीघ्र पूरी होती है।
- किए गए दावों में किसी प्रकार की कोई विसंगति होने पर संशोधित विवरणी दाखिल करने का अनुरोध किया जाएगा।

क्या करें:

- ई-फाइलिंग पोर्टल नियमित रूप से देखें।
- अपनी आयकर विवरणी के संसाधन (प्रोसेसिंग) से संबंधित किसी सूचना को देखें।
- सूचना के आधार पर तुरंत अपेक्षित कार्रवाई करें।
- सुनिश्चित करें कि किए गये सभी दावे सही और सटीक हैं।

क्या न करें:

- टी.डी.एस. राशि का गलत दावा
- अपनी आय कम दर्शाना
- कटौती को बढ़ाकर दिखाना
- फर्जी खर्चों के दावे प्रस्तुत करना

यह जांचने के लिए कि समापन हेतु कोई कार्रवाई का मद लंबित है, तो कृपया ई-फाइलिंग पोर्टल <https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/> पर लॉग इन करें और संसाधन (प्रोसेसिंग) की स्थिति जांचने के लिए "डैसबोर्ड" पर जाएं और Pending Action>>Worklist section पर जाएं

झूठा या फर्जी दावा दाखिल करना एक दंडनीय अपराध है।



आयकर विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड



अधिक जानकारी के लिए
क्यू आर कोड स्कैन करें

अधिक सहायता के लिए कृपया आयकर विभाग की वेबसाइट: www.incometax.gov.in पर जाएं